पत्रांक–10 / स्थापना व्यय आ0–27 / 2025........57 / 31 रा0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
प0 सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, राँची, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, सिमडेगा, देवघर, पलामू, लातेहार, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह एवं साहेबगंज।

राँची, दिनांक–25-09-2025

विषय :– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघु शीर्ष–101–संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष–01–मानकी, मुण्डा, डाकुआ, प्रधान, ठीकेदार के लिए सम्मान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु मानदेय इकाई विपत्र कोड–40S20290010101000109 में कुल **₹13,13,31,000/-(रूपये तेरह करोड़ तेरह लाख एकतीस हजार मात्र)** मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न जिलों के मानकी, ग्राम प्रधान, मुण्डा, डाकुआ, परगणैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल, तावेदार, मांझी हड़ाम एवं दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि प्रदान करने हेतु जिलों के सामने अंकित राशि के अनुसार आवंटित की जाती है –

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	जिला का नाम	DDO Code	आवंटित राशि	क्र. सं.	जिला का नाम	DDO Code	आवंटित राशि
1	प0 सिंहभूम	SGHDAD076	13500000	9	देवघर	DGRDADA 75	9400000
2	पूर्वी सिंहभूम	JSRDAD 001	6235000	10	पलामू	PLMDAD 024	90000
3.	सरायकेला–खरसावाँ	SKLDAD 023	4600000	11	लातेहार	LTRDAD 002	2450000
4	राँची	RNCLDR 006	7300000	12	पाकुड़	PKRDADA 07	18900000
5	गुमला	GMLDAD 002	3270000	13	गोड्डा	GDDDAD 020	16100000
6	खूँटी	KHNLDRK 21	2500000	14	जामताड़ा	JMTDAD 006	8750000
7	लोहरदगा	LOHLDR 006	1350000	15	साहेबगंज	SBJDAD 017	26000000
8	सिमडेगा	SDGDAD 014	1650000	16	गिरिडीह	GRDDAD 026	9236000
		कुल	**40405000**				**90926000**
			कुल योग				**131331000**

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन भी दिया गया है।

3. विभागीय संकल्प संख्या–4654 / रा0, दिनांक–22.11.2018, विभागीय संकल्प संख्या–1208 / रा0, दिनांक–07.04.2022 तथा विभागीय संकल्प संख्या–3963 / रा0, दिनांक–12.12.2023 तथा विभागीय संकल्प संख्या–2651, दिनांक–16.08.2024 के अनुसार सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु यह आवंटन दिया गया है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003, 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में अन्य मद में नहीं की जाय।

6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संधारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या 40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड 40S20290010101000109 का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

10. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 25/IX

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 57/3110 राँची, दिनांक– 25-09-2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर समाहर्त्ता एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, राँची, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, सिमडेगा, देवघर, पलामू, लातेहार, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह एवं साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/IX/XXV

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)